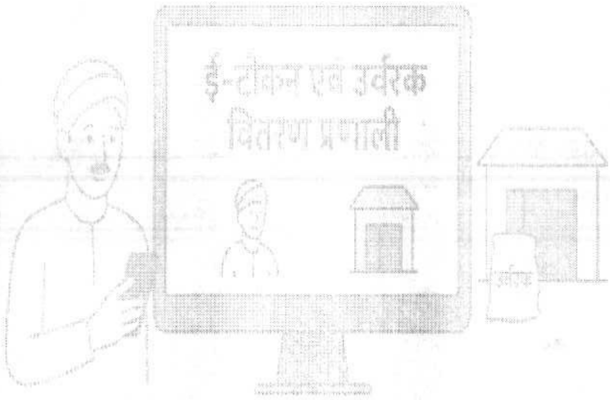

ई-विकास प्रणाली

प्रत्येक किसान के लिए समय पर और पारदर्शी उर्वरक पहुंच सुनिश्चित करना

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश शासन

परिचय:

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने एवं किसानों को आवश्यक संसाधनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ***"ई-विकास प्रणाली"*** की शुरुआत की गई है। यह एक डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक प्राप्ति में होने वाली समस्याओं जैसे- लंबी कतारें, कालाबाजारी, अनियमित वितरण एवं बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है।

प्रणाली का कार्यप्रणाली:

इस प्रणाली के तहत किसान को पंजीयन के उपरांत उर्वरक प्राप्ति के लिए एक ई-टोकन जारी किया जाता है। इस टोकन में किसान का नाम, पंजीयन क्रमांक, उर्वरक का प्रकार एवं मात्रा, वितरण केंद्र, निर्धारित तिथि और समय अंकित होता है। टोकन एसएमएस, मोबाइल एप या वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। किसान निर्धारित समय पर संबंधित केंद्र से उर्वरक प्राप्त कर सकता है।

प्रमुख लाभ:

- ***पारदर्शी* वितरण प्रणाली:** प्रत्येक वितरण का डिजिटल रिकॉर्ड, जिससे सरकारी निगरानी आसान।
- ***समय की बचत:*** किसानों को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं।
- ***कालाबाजारी की रोकथाम:*** टोकन आधारित प्रणाली में बिचौलियों की भूमिका समाप्त।
- ***रीयल-टाइम डेटा विश्लेषण:*** सरकार को उर्वरक की मांग और आपूर्ति पर नियंत्रण की सुविधा।
- ***डिजिटल सशक्तिकरण:*** किसानों को तकनीकी साधनों का उपयोग करने का अवसर।

परियोजना का उद्देश्य

यह प्रणाली किसानों को उर्वरक वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और सुगमता प्रदान करने हेतु विकसित की गई है। ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत किसानों को उर्वरक प्राप्ति के लिए एक डिजिटल टोकन प्रदान किया जाता है, जिसमें उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक की मात्रा, वितरण केंद्र, तिथि एवं समय का उल्लेख होता है। इससे वितरण केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम होती है, और किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलती है।

प्रणाली रीयल-टाइम डेटा पर आधारित होती है, जिससे सरकार उर्वरकों की उपलब्धता और मांग का विश्लेषण कर वितरण को सुचारु रूप से संचालित कर सकती है। साथ ही, इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कालाबाजारी और बिचौलियों की भूमिका को भी प्रभावी रूप से रोका जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- ❖ डिजिटल टोकन जनरेशन एवं एसएमएस/मोबाइल एप के माध्यम से सूचना प्रदान करना
- ❖ उर्वरक की रीयल-टाइम उपलब्धता की निगरानी
- ❖ वितरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना
- ❖ किसानों के लिए सुविधा, समय की बचत एवं निष्पक्ष वितरण

निष्कर्ष:

यह पहल डिजिटल कृषि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को सशक्त बनाती है बल्कि सरकारी संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में भी सहायक है।

उर्वरक प्राप्ति का माध्यम : "स्वयं प्राप्त करें " में विकसित की गई प्रक्रिया

"ई-विकास प्रणाली" एक डिजिटल समाधान है, जिसका उद्देश्य किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली के विकास में निम्न प्रमुख चरण शामिल हैं:

1. *स्टॉक अपडेटेशन:*

खुदरा विक्रेता वेब / मोबाइल ऐप के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी रीयल-टाइम में अपडेट करते हैं।

2. *किसान पंजीकरण:*

किसान का पंजीकरण आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाता है, जो डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग को आसान बनाता है।

3. *भूमि जानकारी (AgriStack से एकीकरण):*

किसान की भूमि की जानकारी जैसे क्षेत्रफल, फसल प्रकार आदि AgriStack से प्राप्त की जाती है, जिससे उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।

4. *विक्रेता (Retailer) चयन:*

किसान अपनी सुविधा अनुसार नजदीकी अधिकृत रिटेलर का चयन करता है, जिससे वितरण केंद्र तक पहुंच सुगम होती है।

5. *ई-टोकन जनरेशन:*

किसान को उर्वरक प्राप्ति के लिए एक डिजिटल टोकन जारी किया जाता है, जिसमें वितरण की तिथि, समय और स्थान की जानकारी होती है।

6. *रिटेलर मोबाइल ऐप के माध्यम से वितरण:*

रिटेलर मोबाइल ऐप से किसान का टोकन स्कैन करता है और उर्वरक वितरण की पुष्टि करता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

विकसित रिपोर्ट्स

- करंट स्टॉक रिपोर्ट
- डेली सेल रिपोर्ट
- रिटेलर वाइज स्टॉक रिपोर्ट
- रिटेलर वाइज ई टोकन रिपोर्ट

उर्वरक प्राप्ति का माध्यम : "उर्वरक की होम डिलीवरी " में विकसित की गई प्रक्रिया

"ई- विकास (वितरण एवं कृषि आपूर्ति समाधान) प्रणाली" एक डिजिटल समाधान है, जिसका उद्देश्य किसानों को समयसीमा के अंतर्गत घर बैठे उर्वरक उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली में उर्वरक की होम डिलीवरी सुविधा के विकास में निम्न प्रमुख चरण शामिल हैं:

स्टॉक अपडेटेशन:

INSTOCK

खुदरा विक्रेता वेब / मोबाइल ऐप के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता की जानकारी रीयल-टाइम में अपडेट करते हैं।

1

किसान पंजीकरण:

किसान का पंजीकरण आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाता है, जो डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग को आसान बनाता है।

2

भूमि जानकारी (AgriStack से एकीकरण):

किसान की भूमि की जानकारी जैसे क्षेत्रफल, फसल प्रकार आदि AgriStack से प्राप्त की जाती है, जिससे उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है।

3

होम डिलीवरी विकल्प का चयन

HOME DELIVERY

किसान, उर्वरक की होम डिलीवरी प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध होम डिलीवरी विकल्प को चुनता है।

4

विक्रेता (Retailer) चयन:

किसान अपनी सुविधा अनुसार अधिकृत रिटेलर का चयन करता है,

5

चयनित उर्वरक विवरण

INVOICE

किसान द्वारा होम डिलीवरी हेतु चयनित उर्वरक का विवरण (उर्वरक लागत एवं परिवहन शुल्क सहित) देखा जा सकता है।

6

डिलीवरी पता विवरण:

होम डिलीवरी के लिए किसान द्वारा डिलीवरी पता विवरण दर्ज किया जाता है।

7

ऑनलाइन भुगतान

किसान उर्वरक की होम डिलीवरी हेतु ऑनलाइन भुगतान करता है।

निरंतर...........

"ई- विकास (वितरण एवं कृषि आपूर्ति समाधान) प्रणाली" में उर्वरक की होम डिलीवरी सुविधा हेतु प्रक्रिया

"ई- विकास (वितरण एवं कृषि आपूर्ति समाधान) प्रणाली" एक डिजिटल समाधान है, जिसका उद्देश्य किसानों को समयसीमा के अंतर्गत घर बैठे उर्वरक उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली में उर्वरक की होम डिलीवरी सुविधा के विकास में निम्न प्रमुख चरण शामिल हैं:

8 ***भुगतान रसीद:***

किसान को SMS एवं WhatsApp के माध्यम से भुगतान रसीद प्राप्त होगी।

9 ***होम डिलीवरी की स्थिति:***

डिलीवरी की स्थिति किसान द्वारा समय-समय पर ट्रैक की जा सकती है।

10 ***खुदरा विक्रेता को अलर्ट:***

उर्वरक वितरण हेतु नई बुकिंग प्राप्त होने पर संबंधित खुदरा विक्रेता को उसके मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी।

11 ***ड्राइवर की नियुक्ति***

नई डिलीवरी बुकिंग की खुदरा विक्रेताओं द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसके बाद डिलीवरी के लिए परिवहन एजेंसी नियुक्त की जाती है।

12 ***ड्राइवर विक्रेता को अलर्ट:***

उर्वरक वितरण हेतु डिलीवरी असाइन होने पर ड्राइवर को उसके मोबाइल पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी।

13 ***Pickup the Fertilizer/ Driver Change***

- ❖ निर्धारित तिथि के अनुसार ड्राइवर द्वारा खुदरा विक्रेता की दुकान से उर्वरक उठाया जाएगा।
- ❖ चयनित ड्राइवर की उपलब्धता न होने पर विक्रेता अन्य किसी ड्राइवर/वाहन का चयन कर सकता है।

14 ***खुदरा विक्रेता डिस्पैच विवरण:***

खुदरा विक्रेता द्वारा डिस्पैच विवरण (वाहन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाइल नंबर) अपडेट किए जाएंगे तथा डिलीवरी कोड से संबंधित अधिसूचना, जिसे डिलीवरी के समय चालक के साथ साझा किया जाना है, किसान के मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी।

15 ***बुकिंग क्लोज***

किसान उर्वरक प्राप्ति के बाद बुकिंग बंद करने हेतु ड्राइवर के साथ डिलीवरी कोड साझा करेगा।

16 ***स्टॉक अपडेट***

खुदरा विक्रेता का स्टॉक अपडेट (कटौती) हो जाएगा।

मुख्य पृष्ठ

ई-विकास प्रणाली

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश शासन

प्रत्येक किसान के लिए समय पर और पारदर्शी उर्वरक पहुंच सुनिश्चित करना

HELP AND SUPPORT

ई टोकन / लॉगिन | विभाग लॉगिन

रिटेलर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें | ट्रस्ट/ पट्टा/ अन्य किसानों का पंजीयन | होम डिलीवरी ऑर्डर की स्थिति ट्रैक करिए

प्रणाली के बारे में

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग (FW&AD) राज्य के किसानों को समय पर एवं समान रूप से उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में उर्वरक वितरण की प्रक्रिया में अनेक हितधारक शामिल हैं, जैसे उर्वरक निर्माता, शासकीय नेटवर्क (मार्कफेड, एमपी एग्रो, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज - PACS) तथा निजी विक्रेता।

इसके बावजूद वर्तमान प्रणाली में असमान वितरण, वास्तविक समय में निगरानी की कमी तथा किसानों तक समय पर उपलब्धता न हो पाने जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। इसके परिणामस्वरूप किसानों को उर्वरक की कमी एवं वितरण में देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इन चुनौतियों के समाधान हेतु विभाग ने उर्वरक वितरण को किसानों की भूमि अभिलेख जानकारी एवं मौसमवार फसल पैटर्न के आधार पर नियंत्रित करने का प्रस्ताव रखा है। इस व्यवस्था से उर्वरक की आपूर्ति वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित होगी, जिससे दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्तावित प्रणाली से मिलने वाली प्रमुख सुविधाएँ

- उर्वरक आवागमन की वास्तविक समय पर निगरानी, उत्पादन इकाई से लेकर खुदरा विक्रेता तक।
- किसान स्तर पर नियंत्रण एवं निगरानी, भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार वितरण।
- समय पर एवं सटीक रिपोर्टिंग, जिससे उच्चाधिकारियों को निर्णय लेने में सहूलियत होगी।

About Us | Terms & Conditions | Contact Us | Privacy Policy | Product Pricing | Refund & Cancellation Policy | Shipping and Delivery Policy | Portal Policy

© 2025 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. | सर्वाधिकार सुरक्षित

साइट किसप द्वारा डिज़ाइन एवं अनुरक्षित

कृषक पंजीकरण / लॉगिन

ई-विकास प्रणाली
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश शासन

कृषक पंजीकरण / लॉगिन

आधार ओटीपी से पंजीकरण या लॉगिन करें

आधार संख्या दर्ज करें

आधार संख्या दर्ज करें

☐ मैं यहां स्वेच्छा से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस पोर्टल पर आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से स्वयं का प्रमाणीकरण कराने के लिए सहमत हूँ। मैं इस उद्देश्य के लिए अपना आधार संख्या और/या एक बार का पासवर्ड (OTP) प्रदान करने की सहमति देता/देती हूँ। मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण कराने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं इसे अपनी स्वेच्छा से सहमति प्रदान करता/करती हूँ। मैं आगे यह भी सहमति देता/देती हूँ कि मेरी आधार ई-केवाईसी जानकारी केवल शासकीय सेवाओं और/या सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के विभागों के साथ साझा की जा सकती है।

आधार सत्यापित करें | Back to Home

© 2025 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. । सर्वाधिकार सुरक्षित

साइट क्रिस्प द्वारा डिज़ाइन एवं अनुरक्षित

कृषक पंजीकरण / लॉगिन

ई-विकास प्रणाली
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश शासन

कृषक पंजीकरण / लॉगिन

आधार सत्यापन प्रक्रिया

आधार सत्यापित करने के लिए OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर *******9375 पर भेज दिया गया है।

OTP Valid till :
4:56

आधार संख्या
********6036

ओटीपी दर्ज करें

ओटीपी सत्यापित करें | रद्द करें

© 2025 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र. | सर्वाधिकार सुरक्षित
साइट क्रिस्प द्वारा डिजाइन एवं अनुरक्षित.

आधार द्वारा किसान की जानकारी

ई-विकास प्रणाली
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश शासन

Back

व्यक्तिगत विवरण

नाम	[redacted]	अभिभावक का नाम	[redacted]
लिंग	Male	जन्म तिथि	[redacted]
मोबाइल नंबर	XXXXXX[redacted]	पता	[redacted]

एग्री स्टैक से भूमि जानकारी पाने के लिए क्लिक करें - भू-अभिलेख देखें | ट्रस्ट/ पट्टा/ अन्य किसानों का पंजीयन

एग्री स्टैक से प्राप्त भू -अभिलेख की जानकारी

ई-विकास प्रणाली
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश शासन

Back

व्यक्तिगत विवरण

नाम	A [redacted]	अभिभावक का नाम	[redacted]
लिंग	Male	जन्म तिथि	[redacted]
मोबाइल नंबर	XXXXXX [redacted]	पता	[redacted]

एग्री स्टैक से भूमि जानकारी पाने के लिए क्लिक करें - भू-अभिलेख देखें | ट्रस्ट/ पट्टा/ अन्य किसानों का पंजीयन

भूमि अभिलेख

एग्री स्टैक - ट्रस्ट/पट्टा/अन्य किसानों से प्राप्त विवरण -

क्रमांक	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	कुल सिंचित भूमि (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	राज्य	जिला	विकास खंड	ग्राम	
1	3.000	3.000	152464164	Madhya Pradesh	Vidisha	Vidisha	Barkheda	एग्री स्टैक
2	2.000	2.000	690343	Madhya Pradesh	Vidisha	Vidisha	Barkheda	एग्री स्टैक
3	3.000	3.000	163/52	Madhya Pradesh	Vidisha	Vidisha	Chidoriya Munjapta	एग्री स्टैक
4	3.000	3.000	211/12	Madhya Pradesh	Vidisha	Vidisha	Chidoriya Munjapta	एग्री स्टैक
कुल	11.000	11.000						

* यदि किसान के पूर्ण खसरे प्रदर्शित नहीं हो रहे है तो लिंक : https://mpfr.agristack.gov.in पर क्लिक कर पूर्ण खसरे जोड़े एवं 2 दिवस बाद दुबारा टोकन हेतु आवेदन करें।

किसान द्वारा आधार से प्राप्त जानकारी एवं मोबाइल नंबर का सत्यापन

भूमि अभिलेख

एग्री स्टैक से प्राप्त विवरण -

क्रमांक	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	कुल सिंचित भूमि (हेक्टेयर में)	खसरा नंबर	राज्य	जिला	विकास खंड	ग्राम
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
कुल	[illegible]	[illegible]					

* यदि किसान के पूर्ण खसरे प्रदर्शित नहीं हो रहे है तो लिंक : https://mpfr.agristack.gov.in पर क्लिक कर पूर्ण खसरे जोड़े एवं 2 दिवस बाद दुबारा टोकन हेतु आवेदन करें।

सहकारी समिति सदस्यता

क्या आप वर्तमान में सहकारी समिति के सदस्य है ? * Yes No

आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें

XXXXXX [illegible]

[illegible] उर्वरक प्राप्त करने हेतु आवेदन

भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण

इस सीज़न के लिए भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण दर्ज करें -

कुल कृषि योग्य भूमि : [illegible] (हेक्टेयर में)

वर्ष [illegible] | सीज़न [illegible] | खसरा/सर्वे न. * --Select-- | फसल* --Select-- | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)* | जोड़े

क्रमांक	वर्ष	सीज़न	ज़िला	खसरा/सर्वे न.	फ़सल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	Delete
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण जोड़ने के उपरांत उर्वरक एवं रिटेलर का चयन

Rabi (रबी) - 2025 उर्वरक प्राप्त करने हेतु आवेदन

Profile unlock करें

भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण

इस सीजन के लिए भूमि क्षेत्रवार फसल का विवरण दर्ज करें -

कुल कृषि योग्य भूमि : 11.000 (हेक्टेयर में)

वर्ष	सीज़न	खसरा/सर्वे न.*	फसल*	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)*
2025-2026	Rabi (रबी)	--Select--	--Select--	

जोड़ें

क्रमांक	वर्ष	सीज़न	जिला	खसरा/सर्वे न.	फसल	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2025-2026	Rabi	विदिशा	Khasra :152464164	गेहूँ	3.000
2	2025-2026	Rabi	विदिशा	Khasra :690343	गेहूँ	2.000

उर्वरक प्राप्ति का माध्यम चुनें

आप उर्वरक किस प्रकार प्राप्त करना चाहते है? * स्वयं प्राप्त करें (Self Collection) घर पर डिलीवरी (Home Delivery) NEW

उर्वरक विकल्प का चयन

कृपया उर्वरक विकल्प का चयन करे - I *	कृपया उर्वरक विकल्प का चयन करे - II *	कृपया उर्वरक विकल्प का चयन करे III *
डीएपी	यूरिया	एमओपी

उर्वरक की गणना

फसल एवं रकबा अनुसार प्रदाय योग्य अनुमानित उर्वरक की मात्रा

जिला	फसल	उर्वरक प्रकार	कुल मात्रा
विदिशा	गेहूँ	डीएपी	15.000
विदिशा	गेहूँ	एमओपी	10.000
विदिशा	गेहूँ	यूरिया	25.000

जिला अनुसार कुल अनुमानित उर्वरक

(मात्रा बेग में)

जिला	उर्वरक प्रकार	कुल मात्रा	कुल प्राप्ति	शेष मात्रा	रिटेलर चुनें
विदिशा	डीएपी	15	0	15	[redacted]
विदिशा	एमओपी	10	0	10	--रिटेलर चुनें--
विदिशा	यूरिया	25	0	25	[redacted]

"मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी के अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा से पूर्णतः सहमत हूं।

Generate Coupon Back

रिटेलर के चयन उपरांत उर्वरक हेतु ई टोकन

ई-विकास प्रणाली

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्य प्रदेश शासन

उर्वरक कूपन - रबी 2025

पंजीकरण की तारीख	09 दिसंबर 2025	किसान पंजीकरण संख्या	REG/2025DEC09/60038 (स्वयं प्राप्त करें)
किसान का नाम	[redacted]	मोबाइल नंबर	XXXXXX[redacted]
आधार नंबर	XXXXXXXX[redacted]	जिले का नाम	विदिशा
ब्लॉक का नाम	Vidisha	गाँव का नाम	Barkheda
फसल का मौसम	रबी	फसल का नाम	गेहूँ
कुल कृषि भूमि			5.000 (हेक्टेयर में)

उर्वरक विवरण

उर्वरक प्रकार	कुल मात्रा (मात्रा बैग में)	कुल प्राप्त बैग	उर्वरक उठाव का स्थान
डीएपी	15	0	आपके द्वारा - [redacted] (Address -Vidisha), से उर्वरक दिनांक - 11 दिसंबर 2025 तक प्राप्त कर सकते हैं।
यूरिया	25	0	आपके द्वारा - [redacted] (Address -Vidisha), से उर्वरक दिनांक - 11 दिसंबर 2025 तक प्राप्त कर सकते हैं।

नोट :-

1. यह कूपन केवल रबी - 2025 हेतु मान्य है।
2. यदि आप सहकारी समिति के सदस्य है तो कृपया सर्वप्रथम अपनी सम्बंधित सहकारी समिति से उर्वरक क्रय करे।
3. प्रति किसान प्रति माह अधिकतम 50 बैग (समस्त उर्वरक मिलाकर) प्रदाय किया जायेगा I यदि किसी किसान द्वारा टोकन बनाने से पूर्व 50 बैग उर्वरक क्रय किया है तो उर्वरक प्रदाय नहीं किया जायेगा या 50 बैग में से शेष मात्रा प्रदाय की जाएगी |

रिटेलर मोबाइल ऐप

Splash Screen

Login Screen

Home Screen

रिटेलर मोबाइल ऐप

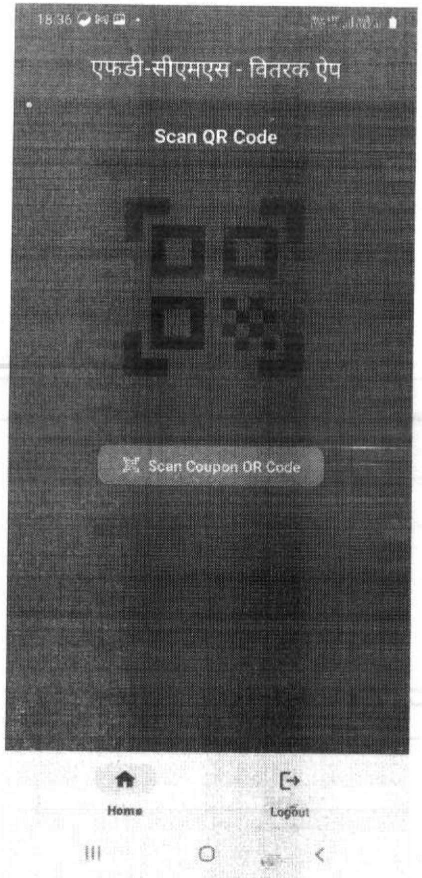

Scan QR Coupon

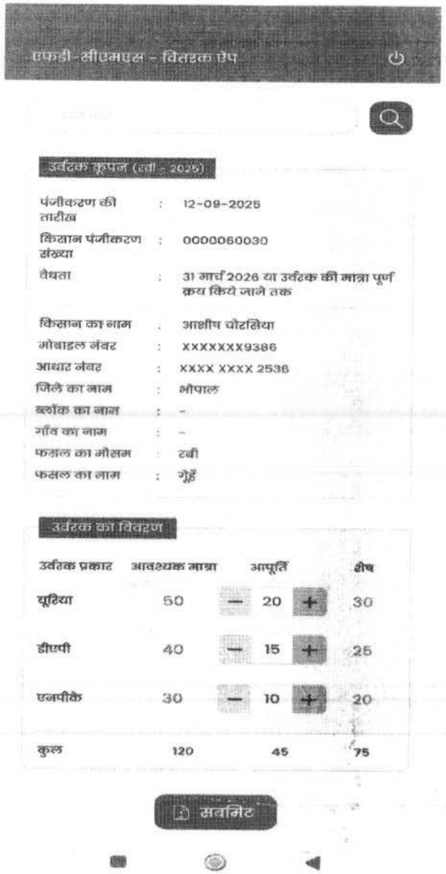

Farmer Details

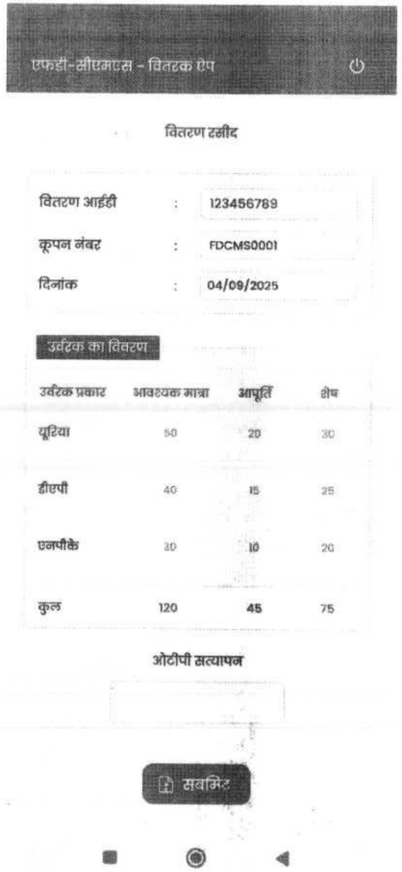

Fertilizer Distribution

रिटेलर मोबाइल ऐप

यदि किसान की भूमि AgriStack के माध्यम से पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रही है, तो किसान को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

चरण 1:

पोर्टल पर आधार के द्वारा लॉगिन करके ***"ट्रस्ट/पट्टा/अन्य किसानो पंजीयन"*** लिंक पर क्लिक करें।

चरण 2: खुले इंटरफेस में किसान को निम्न जानकारी भरनी होगी:

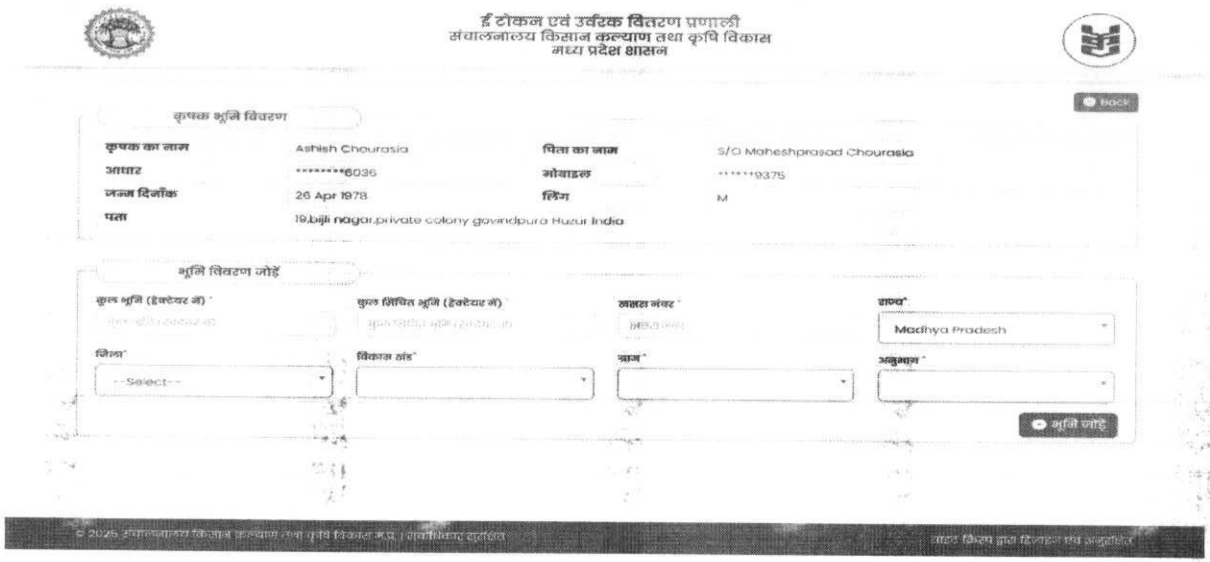

जानकारी भरने के बाद **सत्यापन करें और सबमिट करें।**

चरण 3 — प्रशासनिक सत्यापन

किसान द्वारा सबमिट की गई भूमि जानकारी का **सत्यापन संबंधित एसडीएम / पटवारी** द्वारा किया जाएगा।

चरण 4 — उर्वरक कूपन जनरेशन

☑ सत्यापन हो जाने के बाद, किसान पोर्टल पर लॉगिन कर:

❖ अपनी मांग के अनुसार ई-टोकन / कूपन जनरेट कर सकता है।

❖ फिर वह नियत तिथि पर उर्वरक वितरण केंद्र से उर्वरक प्राप्त कर सकता है।

चरण 5 — उर्वरक प्राप्ति

कूपन जनरेट करने के बाद किसान निर्धारित वितरण केंद्र से **सहज रूप से उर्वरक प्राप्त** कर सकेगा।

संक्षेप में प्रक्रिया प्रवाह (Process Flow)

किसान → ***"ट्रस्ट/पट्टा/अन्य किसानो पंजीयन"*** क्लिक → भूमि जानकारी भरना → सबमिट → एसडीएम/पटवारी द्वारा सत्यापन → कूपन जनरेशन → उर्वरक वितरण

ई-विकास प्रणाली – निष्कर्ष एवं प्रभाव

"ई-विकास प्रणाली" मध्य प्रदेश सरकार की एक नवीनतम डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों तक उर्वरक की समय पर, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली पारंपरिक वितरण प्रक्रियाओं की चुनौतियों, जैसे अनियमितता, कालाबाजारी, लंबी कतारें और जानकारी की कमी को दूर करने में सक्षम है।

यह परियोजना डिजिटल कृषि (Digital Agriculture) की दिशा में एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कदम है। इसमें डिजिटल टोकन के माध्यम से किसान को यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह पूर्व निर्धारित दिनांक, समय और स्थान पर उर्वरक प्राप्त कर सके। साथ ही, रिटेलर मोबाइल ऐप का उपयोग कर वास्तविक समय में स्टॉक अपडेट और वितरण की पुष्टि कर सकते हैं, जिससे पूरी प्रणाली डिजिटली ट्रैक और मोनिटर की जा सकती है।

वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजना:

यह प्रणाली वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में **विदिशा, शाजापुर, जबलपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया एवं नर्मदापुरम** जिलों में लागू की जा चुकी है। इन जिलों में आरंभिक क्रियान्वयन के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें किसानों की संतुष्टि, वितरण की सुचारुता और सरकारी निगरानी की प्रभावशीलता प्रमुख हैं।

इन परिणामों के आधार पर, कृषि विभाग की योजना है कि इस प्रणाली को प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार दिया जाए। इससे राज्यभर में उर्वरक वितरण की प्रक्रिया में व्यापक सुधार और डिजिटलीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सफलता की कहानी: ई-विकास प्रणाली

मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा शुरू की गई "ई-विकास प्रणाली" ने किसानों के लिए उर्वरक प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह डिजिटल पहल किसानों के लिए एक नए युग का संकेत है, जहाँ तकनीक के माध्यम से पारंपरिक चुनौतियाँ दूर की जा रही हैं।

किसान की आवाज़:

"पहले हमें उर्वरक पाने के लिए कई दिन इंतजार करना पड़ता था, और कई बार टोकन या कागजात के कारण दिक्कत होती थी। अब ई-टोकन सिस्टम से सब कुछ साफ और आसान हो गया है। हम अपने खेत के लिए सही समय पर उर्वरक पा रहे हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है।"

सफलता की कहानी: ई-टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली

ई-टोकन प्रणाली से किसानों के चेहरे खिले

जबलपुर। कृषि के क्षेत्र में शुरू की गई डिजिटल व्यवस्था अब जमीनी स्तर पर किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण शहपुरा में देखने मिला, जहां जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू उर्वरक वितरण की ई-टोकन प्रणाली को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है और वे इसे व्यवस्था में एक अच्छा बदलाव मान रहे हैं। शहपुरा के एक किसान सत्यम भुर्क की खुशी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को भेजे उनके संदेश में साफ झलकती है। सत्यम भुर्क ने इस संदेश में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, आज खाद की नई व्यवस्था ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से मैं शहपुरा डबल लॉक गया जहां पर बिना किसी परेशानी के मुझे मेरी जमीन पर जितनी अधिकतम खाद मिल सकती थी, प्राप्त हुई।

ई-टोकन प्रणाली से किसानों के चेहरे खिले

जबलपुर। कृषि के क्षेत्र में शुरू की गई डिजिटल व्यवस्था अब जमीनी स्तर पर किसानों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो रही है। इसका एक अच्छा उदाहरण शहपुरा में देखने मिला, जहां जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू उर्वरक वितरण की ई-टोकन प्रणाली को लेकर किसानों में उत्साह दिखाई दे रहा है और वे इसे व्यवस्था में एक अच्छा बदलाव मान रहे हैं। शहपुरा के एक किसान सत्यम भुर्क की खुशी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह को भेजे उनके संदेश में साफ झलकती है। सत्यम भुर्क ने इस संदेश में अपना अनुभव साझा करते हुए बताया, आज खाद की नई व्यवस्था ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से मैं शहपुरा डबल लॉक गया जहां पर बिना किसी परेशानी के मुझे मेरी जमीन पर जितनी अधिकतम खाद मिल सकती थी, प्राप्त हुई।

बिजली चोरी पर एक वर्ष की कैद और तीन गुना किया जुर्माना

शासन द्वारा प्रत्येक 15 दिन का मॉडल रेट निर्धारित किया जाएगा। इसी के अनुसार भाव के अंतर की राशि प्रदान की जाएगी। क्योंकि 24 अक्टूबर से भावांतर के तहत खरीदी होगी। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

— लक्ष्मी नारायण मिलाला, मंडी सचिव सिरोंज।

श्रीवास्तव ने कहा कि ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां आनंदम योजनाओं को ग्राम स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। वहीं प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। सरपंच प्रतिनिधि कल्याण सिंह लोधी, गोविंद दास बैरागी, रेखा वर्मा और आशा सहयोगिनियों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

12 हजार से अधिक किसानों को टोकन जारी, 4153 टन बांटा खाद

नवदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा: राज्य सरकार द्वारा खाद वितरण को पारदर्शी और सरल बनाने के उद्देश्य से एक अक्टूबर से ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत किसान अपने मोबाइल के माध्यम से फसल और आवश्यक खाद का चयन कर सीधे सहकारी समिति या किसी अन्य चयनित विक्रय केंद्र से खाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे अब किसानों को विभिन्न केंद्रों पर बार-बार दौड़ने या लाइन में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है।

जिला सहकारी बैंक के सीईओ विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि इस पायलट परियोजना के तहत एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक केवल सहकारी समितियों पर ही 12,778 टोकन बुक किए गए और 4,153 टन खाद का वितरण किया गया। केवल 15 अक्टूबर को ही 883 टन खाद ई-टोकन के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई गई।

सीईओ ने बताया कि ई-टोकन प्रणाली की सफलता का मुख्य कारण इसका पारदर्शी स्वरूप और किसानों के रकबे के अनुसार खाद की सुनिश्चित उपलब्धता है। अब किसान अपनी फसल के लिए अधिकतम आवश्यक खाद आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। जो किसान सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं या जिनका खाते में बकाया है, वे एमपी एग्रो, इफको बाजार, विपणन संघ के गोदाम और निजी दुकानों से भी खाद प्राप्त कर सकते हैं।

उनका कहना था कि इस नई व्यवस्था से न केवल खाद वितरण में अनियमितताओं पर रोक लगी है, बल्कि किसानों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है।

धुरेरा माध्यमिक शाला में अंग्रेजी शिक्षक के अभाव से प्रभावित हो रही छात्रों की पढ़ाई

खाद लेने अब न कतार न देरी, टोकन की प्रति और कार्ड लाने पर तुरंत मिल रहा

पायलट प्रोजेक्ट की खामियां दूर

भास्कर संवाददाता | गंजबासौदा

किसानों को समय पर और पर्याप्त खाद देने के लिए शुरू किया गया खाद पायलट प्रोजेक्ट अब पूरी तरह सफल हो गया है। शुरुआत में आई खामियों और किसानों की परेशानी को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत सुधार किए। अब किसानों को समितियों के बाहर लाइन में नहीं लगना पड़ता। बार-बार चक्कर भी नहीं काटने पड़ते। अंबानगर कृषि समिति के प्रबंधक गिरीश दुबे ने बताया कि किसान अब ऑनलाइन टोकन बुकिंग से घर बैठे खाद बुक कर सकते हैं। समिति पहुंचने पर उन्हें सिर्फ टोकन की प्रति और खाद का एटीएम कार्ड लाना होता है। इसके बाद तुरंत खाद मिल जाती है। दुबे ने कहा कि इससे वितरण में पारदर्शिता आई है। प्रक्रिया आसान हो गई है।

किसानों को मिलने लगा व्यवस्थित खाद।

अब छोटे किसानों को भी मिल रही प्राथमिकता

हथोड़ा प्रबंध समिति के चंद्रपाल राजपूत ने बताया कि सभी किसानों को सरकार के नियमों के अनुसार खाद दी जा रही है। अब किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ता। इंतजार भी नहीं करना पड़ता। व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। किसान अवधेश शर्मा ने बताया कि पहले घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब टोकन मिलने के बाद उसी दिन आराम से खाद मिल जाती है। किसान अरुण शर्मा ने कहा कि अब खाद वितरण रकबे के अनुसार हो रहा है। पहले बड़े किसानों को प्राथमिकता मिलती थी। छोटे किसान वंचित रह जाते थे। अब सभी को बराबरी से खाद मिल रही है। अगर यही व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाए तो सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह बदलाव दैनिक भास्कर की खबर के असर से आया है। किसान अब राहत और संतोष महसूस कर रहे हैं।

हाई मास्क टॉवरों की चोरी का खतरा बढ़ा

गंजबासौदा। पुरानी कृषि मंडी में लगे दो हाई मास्क टॉवर चोरी की कगार पर हैं। मंडी नए प्रांगण में शिफ्ट हो

केबिनेट बैठक में अपमान... में आए व्यापारी, एसडीएम व

"*Thank you*

Developed By :

Center for Research and Industrial Staff Performance (CRISP)

Web: https://crisp.mp.gov.in/

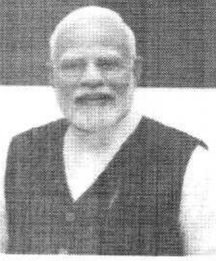

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ई-टोकन प्रणाली

अब उर्वरक ई-टोकन से वितरण होगा

किसानों को पारदर्शी, सुगम एवं समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में ई–टोकन से उर्वरक वितरण किया जाने का निर्णय लिया गया है

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

E-TOKEN प्रणाली से किसान भाईयों को मिलेगें ये लाभ

किसानों के लिए प्रमुख लाभ

1. लंबी कतारों से मुक्ति
2. समय की बचत
3. पारदर्शी और तेज वितरण प्रक्रिया

फार्मर रजिस्ट्री अंतर्गत फार्मर आई डी कौन बना सकता है ?

1. स्थानीय युवा सर्वेयर
2. पटवारी द्वारा
3. स्वयं किसान द्वारा

प्रक्रिया

1. MPFR पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर में मोबाईल नंबर व ओटीपी के माध्यम से किसान का रजिस्ट्रेशन करना है।
2. मोबाइल नं. व ओटीपी के माध्यम से लॉगिन होगा।
3. आधार नंबर डालने पर ओटीपी के माध्यम से आधार वेरिफिकेशन होगा। नाम मेच स्कोर 80 से उपर अनिवार्य है।
4. मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा।
5. पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पात्रता पर हां या नहीं चेक बॉक्स पर क्लिक करना है।
6. Fetch Land details पर क्लिक कर किसान के सर्वे नंबर जोड़ना है।
7. आधार से भूमिस्वामी का नाम मेच स्कोर 20 प्रतिशत अनिवार्य है।
8. Land details add होने के बाद Verify All Land पर क्लिक करना है।
9. समग्र आई डी दर्ज करना है।
10. Consent box पर क्लिक करना है फिर जमा करना है।
11. एक बार फिर आधार ओटीपी दर्ज कर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है।

ई –टोकन कैसे जारी हो ?

A. किसान क्या करें –

1. फार्मर आईडी बनायें।
2. फार्मर आईडी में सभी सर्वे नंबर जोडे।

(इस कार्य हेतु क्षेत्र के पटवारी से सम्पर्क करें)

B. किसान ई–टोकन कैसे जारी करायें–

1. वेबसाईट– Web.e-token.mpkrishi.org लॉगिन करें
2. आधार एवं मोबाईल ओटीपी से सत्यापन करना।
3. एग्री स्टैक से भू–अभिलेख देखें।
4. विक्रेता सहकारी, नगद विक्रय केन्द्र या निजी विक्रेता केंद्र का चयन करें।
5. फसल का चयन, उर्वरक की मात्रा गणना करें।
6. ई–टोकन जनरेट

C. उर्वरक प्राप्त करना–

1. उर्वरक विक्रेता के यहा ई–टोकन दिखाकर उर्वरक खरीदना होगा

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

या

https://mpkrishi.org
https://etoken.mpkrishi.org

जिला प्रशासन एवं
किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश